परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-47/2011/12 नया रायपुर दिनांक 02.02.2018 अंतर्गत जांजगीर–चांपा जिला अंतर्गत तहसील–जैजैपुर, ग्राम–लोहराकोट के कुल 4.747 हेक्टेयर में डोलोमाईट खनिज के खनन का उत्खनि पट्टा 50 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र से डोलोमाईट का उत्खनन पश्चात् परिवहन किया जाना है, पट्टा क्षेत्र से होकर कोई सड़क नहीं गुजरती। खनिज परिवहन के लिए मार्ग निर्माण आवश्यक है, जिसके लिए उपयुक्त मार्गों का सर्वे किया गया, जिसमें से चयनित विकल्प (मार्ग) आरक्षित वन सीमा के समीप आरक्षित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 44 से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 1.966 कि.मी. है, जिसमें 1.18 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसका वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 1.18 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है।

खनिपट्टा क्षेत्र से डोलोमाईट का उत्खनन पश्चात् परिवहन हेतु सवेक्षित मार्गों का विवरण निमनानुसार है :–

स.क्र.	विवरण (Description)	चयनित मार्ग (Proposed Route)	वैकल्पिक मार्ग–1 (Alternative Route-1)	वैकल्पिक मार्ग–2 (Alternative Route-2)
1	वन प्रकार एवं कक्ष क्रमांक	आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44	आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44	आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44
2	लंबाई x चौड़ाई	1996.66x6	2246x6	2206x6
3	प्रभावित वनभूमि (हेक्टेयर में)	1.18	1.348	1.323
4	साध्यता (Feasibility)	साध्य (Feasible)	साध्य (Feasible)	असाध्य (Not Feasible)

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)